राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलेक्टर, झुंझनूं

क्रमांकः–प 12(3)(5)राज 2004 दिनांकः–

आदेश

रामादेवी मेमोरियल चेरीटेबल ट्रस्ट झुंझनूं के द्वारा रामादेवी महिला महा विधालय के भवन निर्माण छात्रावास निर्माण के लिये एवं खेल के मैदान हेतु भूमि आवंटन करने के लिये निवेदन किया।

रामादेवी मेमोरियल चेरीटेबल ट्रस्ट को ग्राम हरनाथपुरा में स्थित भूमि ख0नं0 110/181 मी किस्म बंजड़ दोयम कदीम रकबा 158 बीघा 6 बिश्वा मे से 30 एकड़ भूमि आवंटन के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये गये।

राजस्व (ग्रुप–3) विभाग राजस्थान, जयपुर ने अपने संशोधन आदेश क्रमांक प2 (160) राज/3/04 दिनांक 27–8–2004 के द्वारा ग्राम हरनाथपुरा तहसील, झुंझनूं स्थित भूमि ख0नं0 110/181 मी0 रकबा 158 बीघा 6 बिश्वा किस्म बंजड़ दोयम कदीम मे से 30 एकड़ भूमि राजस्थान भू– राजस्व (स्कूलो,कालेजो, चिकित्सालयों, धर्मशालाओ तथा सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 के अन्तर्गत रामादेवी महिला महा विधालय के निर्माण हेतु रामादेवी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट झुंझनूं को निशुल्क भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की है।

अतः राजस्थान भू– राजस्व (स्कूलो,कालेजो, चिकित्सालयो, धर्मशालाओ तथा सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम, 1963 के अन्तर्गत ग्राम हरनाथपुरा तहसील, झुंझनूं में स्थित भूमि ख0नं0 110/181 मी0 रकबा 158 बीघा 6 बिश्वा किस्म बंजड़ दोयम कदीम मे से 30 एकड़ भूमि रामादेवी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट झुंझनूं को रामादेवी महिला महा विधालय के निर्माण हेतु लीजडीड में वर्णित शर्तो एवं निबंन्धनो को अधीन निशुल्क आवंटित एतदद्वारा इस शर्त के साथ 99 वर्षीय लीज पर आवंटित की जाती है कि कालेज भवन छात्रावास भवन को निर्माण नियमो के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में पूर्ण कर लिया जावे। राज्य सरकार की स्वीकृति आवंटन आदेश या लीजडीड की किसी भी शर्त का उल्लंघन होने को स्थिति में यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।

तहसीलदार, झुंझनूं राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे व नियमानुसार भूमि का कब्जा देवे। ये आदेश लीजडीड निस्पादन एवं पंजियन के पश्चात् ही प्रभावी होगा।

(कुन्जीलाल मीणा)
जिला कलेक्टर, झुंझनूं
दिनांकः– 6-9-2004

क्रमांकः–प 12 (3)(5) राज 2004/2309-14
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. उप शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–3) विभाग राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक प 2 (160)राज–3/04 दिनांक 27–8–2004 के संदर्भ में ।
2. उप खण्ड अधिकारी, झुंझनूं ।
3. प्रभारी अधिकारी जिला राजस्व लेखा अनुभाग।
4. तहसीलदार, झुंझनूं ।
5. अध्यक्ष,रामादेवी मेमोरियल चेरीटेबल ट्रस्ट झुंझनूं को भेजकर लेख है कि उक्त नियमों के अन्तर्गत लीजडीड शीघ्र निस्पादन करावें।
6. गार्ड पंजिका।

जिला कलेक्टर, झुंझनूं

पट्टा विलेख

यह पट्टा विलेख आज दिनांक......8-9-.....सन् ...2004....... को राजस्थान राज्य के राज्यपाल, जिसे आगे पट्टा कर्ता कहेगें ओर जिस अभियव्यक्ति में ,जब तक विषय या संदर्भ से अपवर्जित न हो, पद में उसका उत्तराधिकारी अनुज्ञा अभिहस्तांकित (Permitted Assigness) सम्मिलित है, एक पक्ष ओर दुसरे पक्ष में रामादेवी मेमोरियल चैरीटेबिल ट्रस्ट झुंझनूं जरिए अध्यक्ष श्री शिशुपालसिंह पुत्र श्री सुरजाराम निवासी झुंझनूं रोड नं02 तहसील झुंझनूं जिला झुंझनूं जिसे आगे "पट्टेदार " कहेगे ओर जिस अभिव्यक्ति में जब तक कि विषय या संदर्भ से अपवर्जित न हो, पद में उसका उत्तराधिकारी अभिहस्तांकिती सम्मिलित है, के मध्य किया गया है।

चूंकि पट्टाकर्ता, निचे बताई गई शर्तो पर पट्टेदार को 99 वर्ष की अवधि के लिये उक्त भूमि का पट्टा प्रदान करने के लिए सहमत हुआ है।

अब यह विलेख निम्नलिखित साक्ष्य कर्ता है।

1– यह कि उपरोक्त करार के अनुसरण में, पट्टाकर्ता एतद्द्वारा, कथित भूमि दिनांक ....8-9 ..2004.....से 99 वर्ष (अक्षरे निनाणमें वर्ष) की अवधि के लिए पट्टेदार को पट्टे पर प्रदान करता है।

2– यह कि इसके पक्षकार आपस में निम्नानुसार सहमत है:–

(1) यह कि आवंटन,निःशुल्क होगा।

(2) यह कि पट्टेदारी की अवधि 99 वर्ष के लिए होगी। 99 वर्ष की अवधि सामाप्त होने के पश्चात, पट्टाकर्ता स्थिति का पुनरावलोकन करेगा और यदि भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए हो रहा है जिसके लिए आवंटित हुई थी, और उसी प्रयोजन के लिए यदि आवश्यक हुआ तो अवधि का आगे 99 वर्षो की अवधि के लिए नवीनीकरण किया जा सकेगा।

(3) यह कि भूमि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिये उसका आवंटन हुआ है और आवंटन से एक वर्ष के भीतर ऐसे भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा, जिससे भूमि का आवंटन हुआ है। परन्तु शर्त यह है कि जो भूमि किसी स्कूल व कालेज बनाने के लिए आवंटित हुई है उसका उपयोग उक्त स्कूल या कालेज सबंधित कृषि प्रयोजन हेतु भी किया जा सकेगा।

(4) यह कि भूमि सरकार में निहित होगी। परन्तु शर्त यह है कि यदि भूमि पंचायत घर बनाने के लिए आंवटित की गई है तो वह पंचायत में निहित होगी ।

(5) उक्त भूमि पर निर्मित भवन अथवा प्रारम्भ की गई संस्था का उपयोग सार्वजनिक लाभ के लिए होगा और दुराशय से उसका दुर्भावना-पूर्ण हस्तातरण, आवंटित के परिवार के किसी सदस्य या सदस्यो को नही किया जायेगा।

(6) यह कि उपरोक्त शर्तो में से किसी का उलंघन होने की दशा में, भूमि उस पर बने हुए निर्माण कार्य सहित, बिना किसी क्षति–पूर्ति के दावे वारिस सरकार में निहित हो जायेगी।

इसके साक्ष्य में इसके पक्षकारो ने इस विलेख पर उपरोक्त वर्ष तथा दिनांक को हस्ताक्षर किए है।

रमा देवी मेमोरियल चेरिटेबल ट्रस्ट झुन्झुनू
जरिये अध्यक्ष शिशुपाल सिंह
हस्ताक्षर पट्टेदार

सरकार की ओर से हस्ताक्षर
जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

साक्षी :– (1)

(2)

हरिराम (हरिराम)

साक्षी नं० (1) (हरिराम पुत्र श्री गुलाबराम नि- लाडपुरा तह. नवलगढ़)

साक्षी नं० (2) राजकुमार (राजकुमार) पुत्र श्री रामजीत जाति जाट नि. [illegible] तहसील जिला झुन्झुनू

आज दिनांक 10 माह September सन् 2004 को 10:59 बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री SHISHUPAL SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SURJARAM
उम्र 0 वर्ष, जाति ________ व्यवसाय ________
निवासी ROAD NO-2 ,JJN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता हस्ताक्षर उप पंजीयक, JHUNJHUNU
(2004003011)
(LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))

रसीद नं0 3625 दिनांक 10/09/2004
पंजीयन शुल्क रू0 16800/-
प्रतिलिपि शुल्क रू0 200/-
पृष्ठांकन शुल्क रू0 0/-
अन्य शुल्क रू0 0/-
कमी स्टाम्प शुल्क रू0 0/-
कुल योग रू0 17000/-

(2004003011) उप पंजीयक, JHUNJHUNU
(LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))

प्रमाणित प्रतिलिपि
उप पंजीयक, झुंझुनू

भाग–1

आधारभूत बातें 16.9.01

1. शुरू करने की तारीख व वर्ष..........

2. कृषक का नाम श्रीमती [illegible] देवी [illegible]

पिता का नाम [illegible]

जाति .... (लिखिये क्या वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है) ....

खाता संख्या (वार्षिक रजिस्टर का) ...108.... ह० नं० 234

गाँव का नाम [illegible]

पटवार हल्का [illegible]

तहसील .... [illegible] .... जिला [illegible]

राजस्व बन्दोबस्त की कालावधि ....

2

3

भाग–2

भूमि की जोत की विशिष्टियां

खाता संख्या	अधिकारी की प्रास्थिति (खातेदार, गैरखातेदार इत्यादि)	खसरा सं.	क्षेत्रफल जमाबन्दी के अनुसार	मृदा वर्गीकरण
1	2	3	4	5
108 ह० नं० 234 [illegible]	खातेदार	110 [illegible]	[illegible]	[illegible]

4

भाग–2

भूमि की जोत की विशिष्टियां

खाता संख्या	अधिकारी की प्रास्थिति (खातेदार, गैर खातेदार इत्यादि)	खसरा सं.	क्षेत्रफल जमाबन्दी के अनुसार	मृदा वर्गीकरण	वार्षिक लगान
1	2	3	4	5	6

5

भूमि पर किये गये सुधार, यदि कोई हों तो.

कुए		पम्पिंग सेट		पर्शियन कुआं	अन्य विधियां	टिप्पणि
पक्का	कच्चा	बिजली	डीजल			
क	ख	ग	घ	ङ		
		7			9	10

उनकी विशिष्टियां

क्र. सं.	उधार की रकम और स्वीकृति की तारीख		वित्तीय संस्था का नाम	जिस भूमि पर प्रभार/बन्धक सृजित किया गया उसकी विशिष्टियां	घोषणा की तारीख को बकाया उधार की मूल रकम
	तारीख	रकम			
	11	12	13	14	15

16.9.04

अभिलेख निरीक्षक
के हस्ताक्षर
16/9/04

तहसीलदार (भू. अ.)
झुंझुनू (राज०)

जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26(बी)

ग्राम का नाम :-	हरनाथपुरा	पटवार हल्का	भोजासर	भू.अभि.नि.क्षेत्र	मण्डावा
तहसील :-	झुन्झुनू	जिला :-	झुन्झुनू	दिनांक :-	13/10/2010
सम्वत :-	2064 - 2067	वास्तविक सम्वत :-	2064		
क्षेत्रफल :-	हैक्टेयर				

खेवट(खतोनी)		भूमि धारक का नाम	काश्तकार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	सिंचाई के साधन	लगान		नामान्तरण आदेश नं. तथा तारीख	भूमि ब्यौरा विशिष्टियाँ जिसके पक्ष में भूमि अन्तरित हो	टिप्पणी
नया	पुराना							दर	रकम			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
146	141	राज. सरकार	रामादेवी महीला महाविद्यालय मेमोरियल चेरिटेबल ट्रष्ट झुन्झुनू	540/487	12.1400	गै.मु.कालेज 12.1400						

कुल | कुल खसरा : 1 | कुल क्षेत्रफल : 12.1400 | भूमि प्रकार के अनुसार क्षेत्रफल

गै.मु.कालेज 12.1400

प्रतिलिपि शुल्क: 10/- रु. 1537

प्रमाणित किया जाता है कि इस प्रतिलिपि में दिनांक 13.10.10 तक के रामरत परिव

प्रतिलिपि क्रमांक: 0401652-1646 13.10.10

प्रतिलिपि जारी करने का दिनांक 13/10/2010

रकम

सत्य प्रतिलिपि

प्रमाणित प्रतिलिपि जारी
तहसील झुन्झुनू
प्रभारी कम्प्यूटर सेल
झुन्झुनू
13/10/10

Object reference not set to an instance of an object.

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

जमाबन्दी
(प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- हरनाथपुरा	अंतिम चौसला आधार संवत :- 2074-2077 जमाबंदी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी
पटवार हल्का :- भोजासर	भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
भू.अभि.नि. :- नुआँ	क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
तहसील :- मण्डावा	खाता संख्या नया :- 158
जिला :- झूंझुनू	खाता संख्या पुराना :- 151

काश्तकार का नाम:-

1. रामादेवी महीला महाविधालय मेमोरियल चेरिटेबल ट्रष्ट झुन्झुनू हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
540/487	12.1400	गै.मु.कालेज	12.1400				
कुल खसरे - 1	12.1400		12.1400				

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 3-Feb-2025

NIC

राजस्थान सरकार

भू-प्रबन्ध विभाग

विभागीय निर्देशन के अनुसार

मिलान क्षेत्रफल

ग्राम हरनाथपुरा ताल्लुका.................... तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू

हाल		गत	
ख.नं.	क्षेत्रफल	ख.नं.	क्षेत्रफल
५८०/८२६	१२.१८	११०/१८१ मि (८२६)	३१.०३
८२६	१८.७६		
५८३/८२६	०.१३		

संख्या ४३७२

तारीख २७/१/२५

तारीख तैयार करके नकल [signature] २७/१/२५ मिलान किया

नकल तैयार कुनिन्दा [signature]

तारीख देने की नकल [signature]

[signature] सुर्जा

अति. ऑफिस कानूनगो
तहसील मण्डावा

सत्य प्रतिलिपि
[signature]
तहसीलदार (भू.अ.) मण्डावा